सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 14/16 निर्णय दिनांक—04.07.2018

1. प्रेमाराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी चक 10 केजेडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार खाजूवाला

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आज्ञा सहायक उपनिवेशन आयुक्त,छतरगढ़ मु.बीकानेर दिनांक 22—12—1988

उपस्थितः

1. श्री प्रेम प्रकाश मदाऩ, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रामावतार बूरी, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 22.12.1988 जिसके द्वारा अपीलांट को चक 9 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 45/58 के किला नम्बर 1 ता 25 में आवंटन किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा. न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांटा ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को दिनांक 22.12.88 को चक 9 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 45/58 किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीधा कमाण्ड भूमि दिनाक 22.12. 88 को आवंटित हुई थी। जिस पर अपीलांट आवंटन के समय से काबिज रही है। लेकिन रेकार्ड में अमलदरामद नहीं हुआ। अपीलांट के मूल कागज खो जाने के कारण अपीलांटा ने उपखण्ड अधिकारी

खाजूवाला से नकल प्राप्त की। नकल प्राप्त होने पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अमलदरामद का निवेदन किया। इस पर रेस्पोडेन्ट ने कहा कि चक 9 डीकेडी के नए चक 3 पीकेडी बन चुके है। इस पर आवंटन अधिकारी को चक के संशोधन का निवेदन किया परन्तु उन्होंने कहा कि अपील के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। अतः उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि चक 9 डीकेडी जिसके वर्तमान सीएडी चक 3 पीकेडी कायम हुए है वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज बताई गई है। इसलिए वर्तमान चक के अनुसार आवंटन रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे एवं अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे। अपील जानकारी से अन्दर मियांद पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है जिसके खण्डन में प्रतिवादी ने कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने अपील मियांद बाहर पेश की है तथा मियांद को कन्डोन करने के लिए कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये है। अपीलांट को आवंटन चक 9 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 45/58 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा का आवंटन हुआ है किन्तु वह नये चक 3 पीकेडी बनना बताते है इस संबंध में अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः अपीलांट की अपील अस्वीकार की जावें

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.88 के विरुद्व अपील दिनांक 03—02—2016 को पेश की है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसके खण्डन में प्रतिवादी ने कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया है। अतः अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

(2) हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को चक 9 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 45/55 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीधा कमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 22.12.88 को किया गया है। जिसका पटटा व कब्जा अपीलांट को सुपुर्द किया गया है। अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि चक 9 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 45/58 सीएडी के चक प्लान आने पर चक 3 पीकेडी कायम हुए है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमा बन्दी से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि वर्तमान में आराजीराज दर्ज रिकार्ड है।

(3) प्रकरण में यह निर्विवाद है कि अदालत मातहत द्वारा आपीलांट को उसकी पात्रता के अनुसार पात्रता की जॉच करते हुए वादगत् भूमि चक 9 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 45/58 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 22—12—1998 को किया गया था। वादगत् भूमि के वर्तमान में सीएडी के अनुसार चक 3 पीकेडी कायम हुए है अथवा नहीं? यह जॉच का विषय है। वादगत् भूमि के बाबत् वर्तमान स्थिति में संबंधित तहसीलदार द्वारा से वादगत् भूमि की रिपोर्ट के उपरान्त ही सामने आ सकती है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मु.बीकानेर का आदेश दिनांक 22—12—1988 कायम रखते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला को प्रेतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि अपीलांट को आवंटित रकबा चक 9 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 45/58 के नये चक 3 पीकेडी कायम किये जाने बाबत् प्रस्तुत खसरा गिरदावरी तदनुसार रकबा 3 पीकेडी में पाया जाता है तो रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर
सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर